संख्या–1615/दस–2–2006–12(63)/2005 टी0सी0

प्रेषक,

बी0पी0 गुप्ता
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तरांचल, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2006

विषयः– अनुदान सं0–27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास" के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या– नि0–540/35–1–वी, दिनांक 21 जनवरी, 2006, शासनादेश संख्या–39/दस–2–2006–12(63)/2005, दिनांक 25 जनवरी, 2006 तथा क0 संख्या–439/दस–2–2006 –12(63)/2005, दिनांक फरवरी, 2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 1,13,35,000/– के अतिरिक्त श्री राज्यपाल महोदय वन विभाग के आयोजनागत पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित योजना के लिए वर्तमान में रू0 9,30,000/– (रूपये नौ लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है. प्रश्नगत योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत धनराशि की कोषागार मद संख्या–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से रू0 40,000/– को साख सीमा मद में समायोजित करते हुए साख सीमा मदों मे कुल रू0 9,70,000/– की धनराशि अवमुक्त की जा रही है :–

1. उक्त स्वीकृत व्यय भारत सरकार के पत्रांक 13 00 31 24/डब्लूएल, दिनांक 13 मार्च, 2006 तथा पत्रांक 13 00 02 24/डब्लूएल, दिनांक 13 मार्च, 2006 द्वारा स्वीकृत मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय.
2. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाय तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
3. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
4. क्षेत्र की योजना के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
5. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
7. उक्त धनराशि का आहरण भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त यथाआवश्यकता ही किया जाय.
8. अवमुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

क्रमशः.....2

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक-2406-वानिकी तथा वन्य जीवन आयोजनागत 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110- वन्य जीवन परिरक्षण 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0109-"पार्क एवं पक्षी विहारों का विकास" योजना हेतु संलग्न तालिका में दिये विवरणानुसार सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा.

3. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 608 /वि.अनु-4/2006, दिनांक 28 मार्च, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

संलग्नक: यथोपरि.

भवदीय

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव

संख्या-1615(1)/दस-2-2006, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहस्त्रधारा रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून.
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरांचल.
8. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
10. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल, शासन, देहरादून.
12. गार्ड फाइल (जे).

(श्याम सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–1615/दस–2–2006–12(63)/2005, दिनांक 29 मार्च, 2006 का संलग्नक

वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तरांचल के अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानित योजना "पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास" में वर्ष 2005–06 की वित्तीय स्वीकृति:–

योजना का नाम/लेखा शीर्षक	मानक मद	मद प्रकार	पूर्व स्वीकृति	वर्तमान स्वीकृति	योग
1	2	3	4	5	6
2406 – वानिकी तथा वन्य जीवन	02–मजदूरी	कोषागार	0	0	0
02 – पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन	04–यात्रा व्यय		0	0	0
	08–कार्यालय व्यय		0	0	0
110 – वन्य जीवन परिरक्षण	09–विद्युत देय		0	0	0
01 – केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	12–कार्यालय फर्नीचर		0	0	0
	13–टेलीफोन पर व्यय		0	0	0
0109 – पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास	14–मोटर गाड़ी क्रय		0	0	0
	15–गाड़ियों का अनु.		50	0	50
	17–किराया, उपशुल्क		0	0	0
	18–प्रकाशन		70	0	70
	20–सहायक अनुदान		370	–40	330
	44–प्रशिक्षण व्यय		150	0	150
	46–कम्प्यूटर का क्रय		100	0	100
	योग		740	–40	700
	25–लघु निर्माण	साख	5465	75	5540
	26–मशीन साज सज्जा	सीमा	1405	400	1805
	29–अनुरक्षण		3250	110	3360
	42–अन्य व्यय		475	385	860
	योग		10595	970	11565
	योजना का योग		11335	930	12265

(वर्तमान स्वीकृति रू0 नौ लाख तीस हजार मात्र)

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव